

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2024/124

रीवा, दिनांक : 26-01-2024

प्रति,

प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय, जैतपुर  
जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय :- अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2023-2024 बावत्।


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2023-2024 के लिए प्राप्त प्रपत्र के साथ वांछित अभिलेख नहीं संलग्न किये गये हैं। प्रकरण को विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09-01-2024 में प्रस्तुत किया गया जहाँ निर्णय लिया गया है कि प्रथमतः प्राचार्य को पत्र भेजकर प्रपत्र के अनुसार वांछित अभिलेखों की पूर्ति करायी जाय जिसका अनुमोदन माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रपत्र के अनुसार चाहे गये अभिलेखों को संलग्न कराया जाय ताकि अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2023-2024 के लिये विश्वविद्यालय से पत्र जारी किया जाय।


“पत्र को प्राथमिकता दें”

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
2. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
3. कुलपति जी के सचिव।
4. कुलसचिव के निज सहायक।

  
सहायक कुलसचिव (विकास)